संख्या-24/2017-1534 ई-2/तेरह-2017-56/2015

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 23 जून,2017

विषय:-वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकृत आबकारी दुकानों की देय लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की द्वितीय किस्त जमा करने हेतु नियत तिथि 15 मार्च,2017 को विस्तारित/छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-155/दस-लाइसेंस-367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति/2017-18, दिनांक 13 अप्रैल,2017 तथा इस सम्बन्ध में निर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त(मुख्य सचिव) उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18-5-2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1180 ई-2/तेरह-2017-56/2015, दि0 25 मई,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 अप्रैल,2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राजस्वहित में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(क) मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0 15-12-2016 के अनुपालन में परिस्थितिजन्य कारणों से जमा न हो सकी आबकारी दुकानों की लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की अवशेष आधी दूसरी किस्त जमा करने हेतु संगत नियमावलियों में प्राविधानित समय 15 मार्च,2017 को विशेष परिस्थिति में बढ़ाकर 30 जून,2017 तक विस्तारित किया जाता है। यह सुविधा केवल वर्ष 2017-18 के लिये होगी।

(ख) मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-12-2016 के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित जिन दुकानों के अनुज्ञापियों द्वारा उपयुक्त परिसर तलाश न कर पाने के कारण अद्यतन दुकानों का स्थानान्तरण नहीं

कराया जा सका है और अवशेष लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि 15 मार्च,2017 तक जमा नहीं कर सके हैं, ऐसे अनुज्ञापियों को उपयुक्त परिसर तलाश कर दिनांक 30 जून,2017 तक अवशेष लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि जमा कराकर दुकानों को संचालित कराने की अनुमति दे दी जाय।

(ग) उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने पर दिनांक 01-4-2017 से आच्छादित देशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन की तिथि तक की अवधि के एम0जी0क्यू0 को आगामी अवशेष अवधि में निर्धारित एम0जी0क्यू0के साथ अनुपातिक रूप से उठाने की अनुमति निर्धारित प्रक्रियानुसार दे दी जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।